6

कार्यालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर

क्रमांकः अ.आ./पीए/1/2014 दिनांक 30.12.2014

प्रति,

सचिव,
राजस्व मण्डल,
म.प्र.ग्वालियर ।

विषय– तहसील न्यायालय भाण्डेर का प्र.क. 53/03-04/अ-19 को स्व.निग. में लिये जाने बावत ।

त्हसील भाण्डेर में निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण दल द्वारा तहसील न्यायालय के प्र.क्र.53/03-04/अ-19 का परीक्षण किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा अपने इस प्रकरण के द्वारा ग्राम पिपरौआकलाॅ की भूमि सर्वे क्र.828 रकवा 2.31है. भूमि में से आवेदक नवल किशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण को दिनांक 7.6.04 को 0.40 है. भूमि का व्यवस्थापन किया गया है (प्रकरण संलग्न)। यह भूमि कलेक्टर द्वारा दिनांक 18.6.2001 को चरनोई से का.का. घोषित की गयी है ।

चरनोई से का.का. घोषित भूमि का आवंटन केवल ग्राम के भूमिहीन हरिजन/आदिवासी व्यक्तियों को ही किया जा सकता है, किन्तु तहसीलदार के द्वारा इस भूमि पर आवेदक नवल किशोर का 1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर व्यवस्थापन किया गया है । प्रकरण के संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि पटवारी ग्राम द्वारा अपनी रिपोर्ट में आवेदक के पास पूर्व से धारित भूमि की मात्रा 13.00 है. होना दर्शायी गयी है। प्रकरण में पटवारी एवं आवेदक द्वारा 15-20 वर्ष से कब्जा होना दर्शाया गया है किन्तु प्रकरण में 15-20 वर्ष के अतिक्रमण बावत प्रमाण भी संलग्न नहीं है ।

म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 21 जनवरी 2003 के द्वारा चरनोई से काविल काश्त घोषित भूमि के आवंटन के संबंध में तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी है ।(प्रति संलग्न) तहसील न्यायालय द्वारा न तो इन निर्देशों का पालन किया गया है और न ही तहसीलदार की कार्यवाही विशेष उपबंध अधिनियम-1984 के अंतर्गत आती है । तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश को अ.वि.अ. एवं अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गयी किन्तु दोनों न्यायालयों द्वारा अपील/निगरानी अस्वीकार की गयी है और उपरोक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।
① प्र.क्र./53/03-04/अ-19
② राजस्व विभाग का पत्र दिनांक 21/1/03

(ए.के.श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त
ग्वालियर संभाग,ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 3307–दो/15 जिला –दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
6.11.15	आवेदक के अधिवक्ता शासन की ओर से श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक नवल किशोर को जो भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटित की गई है वह सही नहीं है । आवेदक नवल किशोर के पास पूर्व से ही 13.00 हैक्टेयर भूमि है जो संलग्न अभिलेख में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है । 2– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया । जिसमें निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल ने तहसीलदार भाण्डेर के प्रकरण कमांक 53/03–04/अ–19 का परीक्षण करने पर पाया कि पिपरौआकला की भूमि सर्वे न0 828 रकवा 2.31 है0 में से आवेदक नवल किशोर को दिनांक 7.6.04 को 0.40 है0 भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जो कलेक्टर द्वारा दिनांक 18.6.2001 को चरनोई से का0का0 घोषित की गई है । 3– अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि चरनोई से का0का0 भूमि का आवंटन केवल ग्राम के भूमिहीन हरिजन/आदिवासी व्यक्तियों को ही किया जा सकता	

है । लेकिन तहसीलदार भाण्डेर जिला दतिया द्वारा इस भूमि पर आवेदक नवल किशोर का 1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर व्यवस्थापन किया गया है ।

4- म0प्र0 शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 21 जनवरी 2003 के द्वारा चरनोई भूमि पर काविल कास्त भूमि के आवंटन के संबंध में तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है ।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूॅ कि आवेदक नवल किशोर के पास पूर्व से 13.00 हैक्टेयर भूमि होने के बावजूद भी भूमि आवंटन की है वह तहसीलदार का कृत्य ठीक नही है । अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पत्र कमांक अ.अ./पीए/1/2014 दिनांक 30.12.14 द्वारा तहसीलदार भाण्डेर जिला दतिया के प्र0क0 53/03-04/अ-19 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आशिष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर